सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

07.06.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र भुरटिया पर पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण को दिनांक 30.03.2015 से लगातार प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। वादीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नही ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार वादीगण ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन किया गया है। वाद पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 06.06.2016 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर केयर्न एनर्जी इण्डिया बाडमेर द्वारा केवल सड़क बनाई है, उससे वादीगण सहमत है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण इस वाद में प्रकरण में कोई कार्रवाई नही चाहता है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner